HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1035/2026

Rajesh S/o Shri Ratanlal, Aged About 35 Years, R/o Bilona Kala, Police Station Mandavri, District Dausa (Raj.)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Meghraj Meena, Adv. Mr. Sitaram Meena, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

23/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, पुलिस थाना उनियारा, टोंक में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 144/2025 अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(a) भारतीय न्याय संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, सहअभियुक्त बुद्धिप्रकाश पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप है, जिसका जमानत प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रकरण में मुख्य अभियुक्त दशरथ शर्मा है, जिसकी जमानत इस न्यायालय की

समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त पर केवल यह आरोप है कि उसने कूटरचित दस्तावेज सहअभियुक्त बुद्धिप्रकाश से वाट्सएप पर प्राप्त किये। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नही है, वह अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार है, अकारण गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि सहअभियुक्त बुद्धिप्रकाश ने सहअभियुक्त दशरथ शर्मा से मृतक राधाकिशन के पहचान संबंधी आधार कार्ड, जन–आधार, बैंक डायरी आदि दस्तावेज प्राप्त कर प्रार्थी/अभियुक्त को वाट्सएप पर भेजे और इस संबंध में मोबाईल कॉलिंग की। प्रार्थी/अभियुक्त ने कूटरचित दस्तावेज तैयार किये हों, यह तथ्य अनुसंधान में नही आया है। सहअभियुक्त बुद्धिप्रकाश जायसवाल द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार किये जाने का तथ्य केस डायरी से सामने आया है। सहअभियुक्त बुद्धिप्रकाश का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 170/2025 आदेश दिनांक 22.12.2025 द्वारा विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश, टोंक द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। सहअभियुक्त दशरथ का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 16487/2025 आदेश दिनांक 19.12.2025 के माध्यम से इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जाना प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त अन्वेषण में सहयोग करने को तैयार व तत्पर है।

अतः प्रस्तुत तर्कों, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **राजेश पुत्र रतनलाल** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहां पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थी उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाएः

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /172